

an>

Title: Motion regarding 44<sup>th</sup> and 45<sup>th</sup> Reports of Committee on Private Members' Bills and Resolutions (Motion Adopted).

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ “कि यह सभा:-

13 दिसम्बर, 2018 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 44वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यक्षीन सहमत है कि परिशिष्ट-एक में क्रम सं. 66 पर विधेयक वर्गीकरण और विधेयक के लिए समय के नियतन का लोप किया जाए।

19 दिसम्बर, 2018 को सभा में प्रस्तुत समिति के 45वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यक्षीन सहमत हैं कि संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित उसकी सिफारिशों के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा(दो) का लोप किया जाए।”।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with:-

1. the Forty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 13 December, 2018, subject to modification that classification and allocation of time to Bill at Sl. No.66 in Appendix-I be omitted; and

2. the Forty-fifth Report of the Committee presented to the House on 19 December, 2018, subject to modification that para 4 and sub-para (ii) of para 5 of recommendations thereof, relating to allocation of time to Resolutions, be omitted.”.

*The motion was adopted.*